

महिला की बेरहमी से हत्या, धड़ से अलग हुआ सिर

घर में अकेली रहती थी महिला, जांच में जुटी पुलिस



नवभारत न्यूज
रीवा, 30 मार्च, शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत लोही गांव में महिला की सिर कटी लाश मिलने के बाद हडकमप मच गया. वारदात की सूचना मिलने ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई

और जांच शुरू की.
मृत महिला के धड़ से सिर गायब था. काफी खोजबीन के बाद थोड़ी दूर एक खेत पर सिर पड़ा मिला. महिला की हत्या किसने की है और किस इरादे से की है यह महज एक पहेली बना हुआ है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और फिर सबूतों को कब्जे में लेकर पीएम के लिये अस्पताल भेज दिया है. और अब परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ कर

घटना की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. हत्या का यह मामला रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र लोही गांव का है जहां घर में अकेले रहने वाली महिला लीलावती पटेल की हत्या के बाद उसके शरीर को दो टुकड़ों में बांटकर धड़ के एक

हिस्से को घर के पीछे ही छिपा दिया गया था जबकि सिर को कुछ दूर पर स्थित खेत में फेंक दिया गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक महिला लीलावती पटेल गांव में बने मकान में अकेले ही निवासरत थी जबकि उसकी एक पुत्री है जो अपने ससुराल में थी.

घटना स्थल पर पहुंचे एसपी

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह वैधान घटनास्थल जा पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर हत्या की गु्थी को जल्द से जल्द सुझलाने के लिये निर्देश दिए हैं. एसपी ने बताया कि 50 वर्षीय महिला की घर के पीछे सिर कटी लाश मिली है जबकि महिला के धड़ से गायब सिर की तलाश अभी जारी है. एसपी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट के बाद घटना स्पष्ट हो सकेगी की हत्या से पहले महिला के साथ और क्या हुआ था फिलहाल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा.



बड़ी उपलब्धि, रामपुर नैकिन, चुरहट सेक्शन में पहली ट्रेन पहुंची

ट्रैक कार्य पूर्ण, विद्युतीकरण तेजी से जारी

नवभारत न्यूज
सीधी, 30 मार्च. रीवा-सीधी रेल परियोजना के अंतर्गत रामपुर नैकिन-चुरहट रेलखंड पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

उप मुख्य अभियंता निर्माण सीधी अधिलाष मीना एवं घमंडी लाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 25 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर ट्रैक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस सेक्शन पर आज पहली बार डीजल इंजन के साथ लोडेड ट्रेन सफलतापूर्वक पहुंची, जो परियोजना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है। इसके साथ ही रेलखंड पर

विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे आगामी समय में रेल संचालन और अधिक सुगम एवं आधुनिक होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस उपलब्धि से सीधी जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है, जिससे क्षेत्र के विकास, आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने इस सफलता के लिए जिला प्रशासन के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के प्रभावी समर्थन से कार्य समय पर पूर्ण किया जा सका।

जेसीबी की टक्कर से बेटे की मौत, मां गंभीर

एनएच-39 की घटना, सिंगरौली में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम



नवभारत न्यूज
सिंगरौली 30 मार्च। सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के बरगवां थाना स्थित गोंदवाली मुख्य मार्ग में बीती देर रात एक जेसीबी के टक्कर से बाईक सवार माँ-बेटा घायल हो गये थे, जहाँ जिला

मुख्यालय बैदुन के सिंगरौली निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
महिला का इलाज चल रहा है। जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने गोंदवाली गांव के एनएच-39 में सड़क जामकर आवागमन बाधित कर दिया।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सेमुआर निवासी संदीप बैस अपनी मां को मोटरसाइकिल से लेकर घर की ओर रात में आ रहे थे कि जेसीबी मशीन वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 0198 का चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुये तेजी से गोंदवाली में ही टक्कर मार दिया। जिसमें संदीप कुमार बैस उम्र 25 वर्ष एवं फूलमती बैस उम्र 48 गंभीर रूप से घायल हो गये।

घायल अवस्था में दोनों सड़क पर बेहोसी हालत में गिर पड़े थे। किसी राहगीर ने संदीप की मोबाइल से फोन लगाकर जानकारी दी, जहां परिजन घटनास्थल पहुंच कर दोनों

घायल माँ-बेटे को उपचार के लिए बैदुन निजी अस्पताल में लाया गया। उपचार के दौरान आज दिन सोमवार की सुबह संदीप की मौत हो गई।

चार घंटे ठप रहा नेशन हाईवे का आवागमन

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने आज दिन सोमवार की दोपहर गोंदवाली में नेशनल हाईवे एनएच-39 पर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान करीब तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तहसीलदार और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए और मामले की जांच जारी है। प्रशासन द्वारा मुआवजे और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। पुलिस ने कहा है कि हादसे में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।



नौकरी के नाम पर 23 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

31 लोगों को बनाया शिकार

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 30 मार्च। बरगवां थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने 31 लोगों से करीब 23 लाख 25 हजार रुपये छेठे थे। पुलिस के अनुसार बड़ोहर निवासी साहेबलाल बैस पिता लालबहादुर बैस उम्र 20 वर्ष ने लोगों को कलिंगा कंपनी खंडिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम वसूलता था। आरोपी अपने साथी सिद्धार्थ सिंह के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ठगी को अंजाम देता था। इस संबंध में थाना बरगवां में पीड़ित अंकित विश्वकर्मा की तहरीर पर बरगवां निरीक्षक मो. समीर ने बीएनएस की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार

विवेचना के दौरान मामले सामने आया कि आरोपी खुद को कंपनी से जुड़ा बताकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का भरोसा दिलाता था। इसके बदले वह अलग-अलग लोगों से मोटी रकम वसूलता था। लंबे समय तक नौकरी न मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जहां गठित टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को बीते दिन रात को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। जिसके बाद आज दिन सोमवार को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक, सजिन श्याम बिहारी द्विवेदी, प्रभार अनुप मिश्रा, फूल सिंह, आर शिवराज सिंह तोमर, अरविंद यादव एवं प्रतीक कुमार की सहायनीय भूमिका रही।

गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत पर मायके पक्ष ने किया हंगामा

ससुराल पक्ष पर लगाए गए प्रताड़ना के गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज
सीधी, 30 मार्च. जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला के परीक्षण के बाद मृत घोषित करने पर मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

मौके पर पुलिस एवं नायब तहसीलदार के पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद हंगामा समाप्त हुआ और शव का पोस्टमार्टम किया गया। जिले के सेमरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठार

में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हंगामा शुरू हो गया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते

इनका कहना है

मामले में पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

एकता शुक्ला, नायब तहसीलदार गोपदबनास



हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रास जानकारी के अनुसार दिव्या सिंह बघेल पति विजय बहादुर सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कोठार, सेमरिया की तबीयत आज अचानक बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया गया कि दिव्या सिंह की शादी जुलाई 2024 में विजय

पक्ष द्वारा उसे अपने मायके वालों से खुलकर मोबाइल पर बात करने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। बताया गया कि घटना से एक दिन पहले दिव्या की अपनी मां से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उसने पेट में तेज दर्द होने की बात कही थी। मायके

पक्ष के अनुसार दिव्या ने बताया था कि उसे पिछले दिनों से ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, जबकि कोठार से सेमरिया स्वास्थ्य केंद्र काफी नजदीक है और वहां आसानी से उपचार कराया जा सकता था।

समय पर नहीं पहुंचाया गया अस्पताल

मायके पक्ष का कहना है कि हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे उसे जिला अस्पताल सीधी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। मृतका के पिता ब्रह्मदेव सिंह गहवरार, भाई राहुल सिंह तथा अन्य परिजन रुद्र देव सिंह और रंजीत सिंह बघेल ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कार्यवाही के दौरान पुलिस ने कुल 468 लीटर अवैध शराब जफ्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 34 हजार रुपये है। 12 इस अभियान को सफल बनाने में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों सहित उनके पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सीधी पुलिस ने दो दिन में 100 अवैध शराब विक्रेताओं को पकड़ा

नवभारत न्यूज
सीधी, 30 मार्च. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन, रीवा गौरव राजपूत द्वारा नगरे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान प्रहार 2.0 के अंतर्गत सीधी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने दबिश देकर अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त 100 व्यक्तियों को पकड़ा है। इन सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 100 पृथक-पृथक मामले दर्ज किए गए हैं।

कार्यवाही के दौरान पुलिस ने कुल 468 लीटर अवैध शराब जफ्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 34 हजार रुपये है। 12 इस अभियान को सफल बनाने में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों सहित उनके पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने कविता पाठ से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध

एनटीपीसी विंध्याचल के डॉ. अबेडकर स्टेडियम में काव्य पाठ का आयोजन

नवभारत न्यूज
विन्ध्यनगर 30 मार्च। एनटीपीसी विंध्याचल के डॉ. अबेडकर स्टेडियम में एक यादगार काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध युग कवि डॉ. कुमार विश्वास ने अपनी ओजपूर्ण एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उनके साथ कवि तेज नारायण बेंबेन एवं साक्षी तिवारी ने भी अपने



काव्य पाठ से कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस गरिमामय अवसर पर परियोजना प्रमुख संजीव कुमार साहा, सांसद डॉ. राजेश कुमार मिश्रा,

विधायक रामनिवास शाह एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं के प्रमुख संदीप नायक सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ रात्रि 8 बजे हुआ और यह

रात्रि 10:30 बजे तक चला। इस दौरान एनटीपीसी एवं अन्य आसपास के विशिष्ट व्यक्तियों सहित लगभग हजारों श्रोता एवं दर्शक मौजूद रहे। काव्य पाठ कार्यक्रम में उपस्थित सभी

दर्शकों ने कवियों के काव्य पाठ का आनंद लिया और उनकी प्रतिभा की सराहना की। इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों को हिंदी साहित्य और काव्य की महत्ता से अवगत कराया और उनके बीच एक सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। एनटीपीसी विंध्याचल इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और आसपास के समुदाय के बीच हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड			
कोर्पोरेट कार्यालय: बृन्दि संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 2013011			
मांग सूचना			
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उधारकर्ता को सूचना।			
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवस बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वीकेंड्री किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सूक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता(कों) द्वारा आरएचएफएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अचोक्ष्णताहरे में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सूचना के 60 (सठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सम्पत्ते ढील बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अमेरहास्त्यारी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुदृष्टित लेनदार को प्रत्येक किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करके आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।			
क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सूक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: HLREWASCOMP00000512936, शाखा: रीवा 1. फंकन कुमार सेन, 2. प्रिंस सेन, 3. शिवकलिया सेन दोनों पता 1: ग्राम सर्वेवा, पोस्ट सिहावल, मध्य प्रदेश- 486111, भारत। पता 2: खसर नं. 290, ग्राम सर्वेवा, तह-सिहावल, जिला सीधी MP, मध्य प्रदेश-486111, भारत।	16.03.2026 और रु. 542476/- 13.03.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा संपत्ति का पता: खसर संख्या 290, ग्राम सर्वेवा, तह-सिहावल, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश- 486111, भारत।
2	LAN: LAREWALPRS000005018592, शाखा: रीवा 1. फंकन कुमार सेन, 2. प्रिंस सेन, 3. शिवकलिया सेन दोनों पता 1: ग्राम सर्वेवा, पोस्ट सिहावल, तहसील सिहावल सीधी, मध्य प्रदेश - 486670, भारत। पता 2: खसर नं. 290, ग्राम सर्वेवा, तह-सिहावल, जिला. सीधी MP, मध्य प्रदेश- 486111, भारत।	16.03.2026 और रु. 310632/- 13.03.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा संपत्ति का पता: खसर संख्या 290, ग्राम सर्वेवा, तह-सिहावल, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश- 486111, भारत।
दिनांक - 31.03.2026, स्थान - सतना			प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड